न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 128/11 **निर्णय दिनांकः— 17.09.2018**

1. लालीदेवी पुत्री लूंगदेवी पुत्री लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी हाल बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. हंसराज पुत्र लूंगादेवी पुत्री लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी हाल लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. लूंगादेवी पुत्री लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर।
2. गिरदावरी पुत्री लूंगादेवी पत्नि कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी मैणावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मोहरोदवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि जगदीश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. सोनादेवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि श्रवणकुमार जाति बिश्नोई निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. भागीदेवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. सरस्वती देवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि इन्द्रजीत जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. रामकुमार पुत्र लूंगादेवी पत्नि स्व. हनुमान जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. सोमादेवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी धमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 10—10—2011
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

2. अपील संख्याः 01/12

1. रामकुमार पुत्र लूंगादेवी पत्नि स्व. हनुमान जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सरस्वती देवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि इन्द्रजीत जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ हाल चक 272 आरडी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. हंसराज पुत्र लूंगादेवी पुत्री लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी हाल लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. लालीदेवी पुत्री लूंगदेवी पुत्री लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी हाल बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—औपचारिक रेस्पोडेन्ट्स

3. लूंगादेवी पुत्री लाधुराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर तहसील लूणकरनसर।(फौत)
4. गिरदावरी पुत्री लूंगादेवी पत्नि कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी मैणावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. मोहरोदवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि जगदीश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. सोनादेवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि श्रवणकुमार जाति बिश्नोई निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. भागीदेवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. सोमादेवी पुत्री लूंगादेवी पत्नि पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी धमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

— आवश्यक रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02—11—2011
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 10—10—2011 व दिनांक 02—11—2011 जिसके द्वारा अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के फलस्वरूप दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय के साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों अपीलों में सुरक्षित रखा जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट के नाना लाधुराम के नाम से हाल चक 272 आरडी तहसील लूणकरनसर के मुरब्बा नम्बर 29/63 में 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/64 में 14 बीघा 14 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 29/56 में 11 बीघा 16 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 30/49 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 30/57 में 4 बीघा कुल 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि संवत् 2012 से पूर्व की खातेदरी भूमि है। नाना की मृत्यु के उपरान्त धारा 15 एएए (3) के तहत खातेदारी स्वीकार कर स्व. मोमल के नाम व अपीलांट के नाम गलत वल्दियत धोंकलराम के नाम दर्ज कर दी गई। जिसकी दुरूस्ती बिना किसी सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये रेस्पोडेन्ट की माता के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। जबकि वादगत् भूमि का तन्हा मालिक अपीलांट ही है।

अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि से बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 35 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। जबकि नाना के जीवनकाल में की गई व्यवस्था के प्रतिकूल इन्द्राज बहक रेस्पोडेन्ट के आदेश जैर अपील वारिसान की एवं कब्जा काश्त की जॉच के अभाव में पारित आदेश स्वतः शून्य एवं निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 35 बाबत् वादगत् भूमि 272 आरडी से पूर्व अंकन जमाबन्दी गिरदावरियों में मोमज बेवा धोंकलराम 1/2, हंसराज पुत्र धोंकलराम 1/2 चले आ रहे है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के अंकन में गलत वलदियत् मानकर जैर अपील आदेश दिनांक 17—05—1984 बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है।

अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्रों को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा कानूनी भूल कारित की गई है। जबकि वादकारण उत्पन्न होना या नहीं होने का तथ्य मामलें के गुणावगुण पर तय होने थे। वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति होने के कारण पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार व पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार वसीयत आदि के आधार पर वादीगण के हक व हकूक/अधिकार वादगत् भूमि पर निहित है। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष साक्ष्य व सबूत व सभी पक्षकारान् के जवाब दावे के पश्चात् ही तय होने थे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि चूंकि वादगत् भूमि पैतृक सम्पति है जिस सपर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम(संशोधन), 2005 के तहत वादीगण को अपने अपने हक व हिस्से की भूमि की धोषणा व विभाजन का अधिकार हासिल था। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वादीगण का वाद खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा कानून, कानूनी प्रक्रियाओं, व अनिवार्यताओं को ताक पर रखकर स्वेच्छा पूर्वक

मनमर्जी तरीके से अपीलांट्स के वादपत्रों को व उनके धारण की भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये खारिज किया गया है। जिसको खारिज करने का कतई अधिकार अदालत मातहत को हासिल नहीं था।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तरीके से एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि मु. मुमल बेवा लादूराम व मु. लूंगा पुत्री लादुराम जाति बिश्नोई द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15एएए(3) के तहत एक आवेदन पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्व अभिलेखों के अवलोकन व तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादगत् भूमि वर्तमान में चक 272 आरडी में 28 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड व 10 बीघा 18 बिस्वा अनकमाण्ड के रूप में परिवर्तित होने पर व प्रार्थी लादूराम के फौत होने पर उसकी बेवा मु. मुमल व उसकी पुत्री लुंगा के कब्जे काश्त में होने के आधार पर वादगत् भूमि पुश्तैनी कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि के नियमानुसार 1/2 — 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। मु. मुमल के स्वर्गवास के पश्चात् मु. लूंगा को वादगत् भूमि के पूर्ण अधिकार हासिल हुए।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपनी माता के जीवनकाल में वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकारों के बाबत् दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा

अपीलांट्स का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में लूंगा पुत्री लाधुराम जाति बिश्नोई बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता स्व. लाधुराम से प्राप्त हुई जोकि स्वअर्जित सम्पति हैं जिससे उसके जीवनकाल में उनके पुत्र/पुत्रियों के हकों की धोषणा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत आदेश है। जिसमें किसी प्रकार की काई कानूनी त्रूटि नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक इंतकाल संख्या 35 का प्रश्न है उक्त इंतकाल मुमोल बेवा धोंकलराम व हंसराज पुत्र धोंकलराम के नाम दर्ज होने पर उक्त इंतकाल को दुरूस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर मुमोल बेवा लादुराम व लूंगा पुत्री लादुराम के नाम दर्ज करते हुए दुरूस्त किया गया। उक्त इंतकाल की अपील सक्षम न्यायालय में जैरकार है।

प्रस्तुत मामलें में लूंगादेवी ने अपने पुत्र हंसराज व रामकुमार के नाम दिनांक 06—06—2011 को एक वसीयत निष्पादित की गई थी, परन्तु उसके पुत्र हंसराज द्वारा सेवाचाकरी नहीं किये जाने के कारण लूंगा ने उक्त वसीयत को अपने जीवनकाल में ही निरस्त कर दिया गया था। तत्पश्चात् मु. लूंगा द्वारा एक अन्य वसीयत अपने पुत्र रामकुमार के नाम दिनांक 13—07—2011 को निष्पादित की गई जो कि एक रजिर्स्टड वसीयत पत्र है। उक्त वसीयत के उपरान्त मु. लूंगा की मृत्यु दौराने अपील दिनांक 22—02—2012 को होने पर रामकुमार के नाम निष्पादित की गई वसीयत वैद्य रह गई। अपीलांट्स द्वारा उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट एक तरफ तो वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत अपीलों में अपना हिस्सा 1/9 की मांग कर रहा है व दूसरी तरफ वसीयत के आधार पर 1/2 हिस्से की मांग की जा रही है। जबकि उक्त वसीयत निरस्त हो चुकी हैं इसी प्रकार अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसके नाना द्वारा अपने जीवन काल में प्रदान

करने के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का दावा कर रहे है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा तीन अलग—अलग जगह भिन्न—भिन्न कथन कहे जा रहे है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे बताया गया कि अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में वादगत् भूमि के बाबत् दावा प्रस्तुत करते हुए गोदनामें के आधार पर वादगत् भूमि का 1/2 हिस्से का अधिकारी बता रहा है। जबकि उक्त गोदनामा कभी भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि लूंगादेवी द्वारा अपन जीवन काल में दो वसीयत की गई थी। जिसमें प्रथम वसीयत निरस्त कर दी गई व दूसरी वसीयत पौत्र रामकुमार के नाम की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा विभिन्न स्तरों पर भिन्न—भिन्न कथन करते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुए वादगत् भूमि के अधिकार प्राप्त करने का कुस्सित प्रयास किया जा रहा है। जिसका कतई अधिकार अपीलांट्स को प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् अपीलांट्स के वादपत्रों को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये गये है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपीलें खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए व 207 के तहत प्रस्तुत वादपत्रों को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेशों से व्यथित होकर उक्त अपीलें अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है। जिस पर पारिवारिक बंटवारें के अनुसार मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा उसी अनुसार मौके पर वादीगण शान्तिपूर्वक

कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत् भूमि पैतृक सम्पति होने से व पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार वादीगण/अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा कराने व भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। अदालत मातहत द्वारा बिना विश्लेषण/विवेचन किये ही अपीलांट/वादीगण के वादपत्रों को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलांट को वादगत् भूमि खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में प्रार्थी लादूराम के फौत होने पर उसकी बेवा मु. मुमल व उसकी पुत्री लुंगा के कब्जे काश्त में होने के आधार पर वादगत् भूमि पुश्तैनी कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि के नियमानुसार 1/2 — 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। मु. मुमल के स्वर्गवास के पश्चात् मु. लूंगा को वादगत् भूमि के पूर्ण अधिकार हासिल हुए।

(4) प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार अन्तर्गत धारा 15 एएए(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मु. मुमल बेवा लादुराम व मु. लुंगा बेवा लादूराम को प्रदान किये गये है। जिनकी वंशावली निम्न प्रकार हैः—

मु. मुमल	मु. लूंगादेवी
बेवा लादूराम	पुत्री लादूराम

पुत्र/पुत्रियॉ श्रीमती लूंगादेवी

लालीदेवी गिरदावरी देवी हंसराज मोहरादेवी
भागीदेवी सोनादेवी सरस्वती देवी सोमादेवी रामकुमार

प्रकरण में लूंगादेवी द्वारा अपने जीवनकाल में दो वसीयत की गई। जिसमें से प्रथम वसीयत को लूंगादेवी द्वारा निरस्त कर दी गई व दूसरी वसीयत पौत्र रामकुमार के नाम निष्पादित की गई है।

(5) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/लूंगादेवी के वारिसान द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष दो दावे प्रस्तुत किये गये थे। उक्त दावे अदालत मातहत द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इस आधार खारिज किये जा चुके है कि वादगत् भूमि स्वअर्जित भूमि है जिससे उनके जीवनकाल में उनके पुत्र/पुत्रियों को हकों की धोषणा नहीं की जा सकती है।

(6) प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् विभिन्न स्तरों पर क्रमशः 1/9 हिस्से व तत्पश्चात् 1/2 हिस्से, व वसीयत, नानी के गोदनामा, नानी की वसीयत के आधार पर वादगत् भूमि अपने हिस्से की मांग की जाती रही है व विभिन्न स्तरों पर अपीलांट द्वारा स्वमेव विरोधाभासी कथन किये जाते रहे है। जबकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किसी भी स्तर पर कोई दस्तावेजी प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे वादगत् भूमि पर उसके हक व हकूकों की धोषणा का अधिकारी माना जा सके। अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन वादीगण के वादपत्रों को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में लूंगा पुत्री लाधुराम के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता स्व. लाधुराम से प्राप्त हुई है। जोकि स्वअर्जित भूमि है। ऐसी स्थिति में उसके जीवनकाल में उनके पुत्र/पुत्रियों के हक व हकूको की धोषणा नहीं की जा सकती है।

(7) **वादगत् भूमि के संबंध में** अपीलांट्/वादीगणद्वारा सिविल न्यायालय में वादगत् भूमि के बाबत् दावा प्रस्तुत करते हुए गोदनामें के आधार पर वादगत् भूमि का 1/2 हिस्से का अधिकारी बता रहा है। जबकि उक्त गोदनामा कभी भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी तरफ राजस्व न्यायालय में वादगत् भूमि के संबंध में 1/9 हिस्से की मांग की जा रही है। प्रकरण में अपीलांट/वादीगण द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(8) प्रस्तुत मामलें में मु. मुमल के स्वर्गवास के पश्चात् तमाम भूमि लूंगादेवी के नाम दर्ज होने पर वादगत् भूमि लूंगादेवी ने अपने पुत्र हंसराज व रामकुमार के नाम दिनांक 06—06—2011 को एक वसीयत निष्पादित की गई। मु. लूगांदेवी के पुत्र हंसराज द्वारा सेवाचाकरी नहीं किये जाने के कारण लूंगादेवी द्वारा दिनांक 06—06—2011 को निष्पादित की वसीयत को अपने जीवनकाल में ही निरस्त कर दिया गया था।

तत्पश्चात् मु. लूंगा द्वारा एक अन्य वसीयत अपने पुत्र रामकुमार के नाम दिनांक 13—07—2011 को निष्पादित की गई जो कि एक रजिर्स्टड वसीयत पत्र है। उक्त वसीयत के उपरान्त मु. लूंगा की मृत्यु दौराने अपील दिनांक 22—02—2012 को होने पर रामकुमार के नाम निष्पादित की गई वसीयत वैद्य रह गई। अपीलांट्स द्वारा उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है नाही उक्त वसीयत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10—10—2011 व 02—11—2011 उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर यथावत बहाल रखे जाते है।

8. निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर